



द्वितीय

# राज्य वित्त आयोग

अंतरिम प्रतिवेदन  
(वर्ष 2012-13 के लिए)  
नवम्बर, 2012

छत्तीसगढ़ शासन  
रायपुर



# द्वितीय राज्य वित्त आयोग

अंतरिम प्रतिवेदन  
(वर्ष 2012-13 के लिए)  
नवम्बर, 2012



छत्तीसगढ़ शासन  
रायपुर

## विषय सूची

क्रमांक		पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	1
2.	राजस्व बंटन का दृष्टिकोण	2-4
3.	अंतरण के सिद्धांत	5-7
4.	पंचायती राज संस्थाओं को आबंटन	7-11
5.	नगरीय निकायों को आबंटन	11-12
6.	शासन द्वारा राजस्व का हस्तांतरण	12-13
7.	राजस्व का सौंपा जाना	14
8.	स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	15
9.	स्थानीय निकायों के आंतरिक राजस्व उगाही में सुधार के उपाय	16-17
10.	अनुशंसाओं का सारांश	17-20

# द्वितीय राज्य वित्त आयोग

## अंतरिम प्रतिवेदन

(वर्ष 2012-13 के लिए)

### I. प्रस्तावना

1.1 द्वितीय राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-(झ) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 एवं यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003, की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में राज्य शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1086/एल-8-9/2011/वित्त/बी-4, दिनांक 23 जुलाई 2011 के द्वारा किया गया है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1373/एल-8-9/2011/वित्त/बी-4, दिनांक 13.9.2011 में आयोग के संदर्भ बिंदु (terms of reference) अधिसूचित किये गये हैं। इस अधिसूचना के अनुसार आयोग को 1 अप्रैल 2011 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई 2012 तक सौंपना था। प्रथम राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन की अधिनिर्णय (award) अवधि वर्ष 2011-16 थी। परंतु आयोग को कार्यालय के लिए आवश्यक स्थान चयन करने में तथा अपेक्षित कर्मचारी जुटाने में अधिक समय लगा। यही कारण है कि आयोग जनवरी 2012 के बाद ही क्रियाशील हो पाया। आयोग के लिए जुलाई 2012 तक निर्दिष्ट संदर्भ बिंदु के अनुरूप आवश्यक जानकारी एवं समंको (data) का संग्रहण, मिलान तथा विलेखण करके निष्कर्षों पर पहुंचना संभव नहीं था। इन परिस्थितियों में आयोग की अनुसंसा पर राज्य शासन ने प्रथम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू रहने की अवधि को एक वर्ष के लिए (वर्ष 2011-12 तक) बढ़ा दिया। साथ ही द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें लागू रहने की अवधि को वर्ष 2012-17 तक, क्रमशः अधिसूचना क्रमांक 1000/680/2112/स्थापना/चार दिनांक 15 जून 2012 तथा अधिसूचना क्रमांक 1238/680/2112/स्थापना/चार द्वारा बढ़ाया गया। आयोग द्वारा राज्यपाल महोदय को अपनी अनुसंसाएं 31 मार्च 2013 तक सौंपना है।

1.2 आयोग से यह अपेक्षा है कि वह राज्य की पंचायतों एवं नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा तथा संविधान के अनुच्छेद 243 (I) तथा 243 (Y) के अधिदेश के अनुसार अनुशंसा करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों तथा अधिकारियों से विस्तार से विचार-विमर्श एवं चर्चा की गयी। संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों से विमर्श किया गया, तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माननीय मंत्रियों एवं माननीय मुख्यमंत्रीजी, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, से भी विमर्श किया गया। आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों से विस्तृत प्रश्नावली के आधार पर जानकारी प्राप्त की गई। 5427 ग्राम पंचायतों (कुल संख्या का 50% से अधिक), 18 जिला पंचायतों एवं 109 जनपद पंचायतों तथा 100 नगरीय स्थानीय निकायों से प्राप्त जानकारी तथा समंको का विश्लेषण किया जा रहा है। आयोग द्वारा समंको के विश्लेषण एवं प्रतिवेदन तैयार करने हेतु प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। राज्य सरकार के संबंधित विभागों से ज्ञापन प्राप्त किए जाने हैं। अभी तक आयोग को मात्र नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से संक्षिप्त ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इन स्थितियों में आयोग द्वारा मार्च 2013 के पहले प्रतिवेदन सौंपना संभव नहीं है। राज्य के स्थानीय निकाय वर्ष 2011-12 के संशोधित अधिनिर्णय से वंचित रहे हैं। हम चालू वित्त वर्ष के मध्य में है। यदि आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए अनुशंसाएं शीघ्र नहीं सौंपी जाती है, तो चालू वर्ष के अंतिम पूरक बजट में इसको स्थान नहीं मिल पायेगा, जिससे स्थानीय निकायों को चालू वर्ष में आयोग के अधिनिर्णय का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस स्थिति को ध्यान में रखकर आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन सौंपने का निर्णय लिया गया है।

## II. राजस्व बंटन का दृष्टिकोण (Approach to Revenue Sharing)

2.1 स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने, तथा राज्य द्वारा उद्ग्रहणीय करों, शुल्कों, पथकरों तथा फीसों के शुद्ध आगमो तथा सभी स्तरों के निकायों के

बीच आबंटन को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करने हेतु आयोग को अधिदेशित किया गया है। आयोग को ऐसे करों, शुल्कों आदि के बारे में अनुशंसा करने के लिए भी निर्देश है, जिनके आगमों को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों को सौंपा (assigned) जा सके। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के संबंध में अनुशंसा करना भी आयोग का कार्य है। आयोग का एक और महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उपायों के बारे में सुझाव देना है। एक वर्ष के लिये इस अंतरिम प्रतिवेदन में पंचायतों एवं नगरीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के अंतरित किए जाने वाले हिस्से के बारे में अनुशंसा की गई है तथा कर राजस्व के समनुदेशन एवं स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार के कुछ उपायों पर भी संक्षिप्त में चर्चा की गई है, जिनको चालू वर्ष के बजट में शामिल किया जाना है। आयोग के अंतिम प्रतिवेदन में वित्तीय स्थिति में सुधार के उपायों तथा पंचायतों एवं नगरीय निकायों की कार्य पद्धति में सुधार पर और अधिक विस्तार से चर्चा की जायेगी।

2.2 एक अलग राज्य बन जाने (नवंबर 2000) के बाद छत्तीसगढ़ ने तेजी से आर्थिक विकास किया है। इसके बावजूद गरीबी अनुपात अधिक है तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या 40.92% है। राज्य की 76.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में है और अधिकतर कृषि पर आश्रित है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ प्रधानतः ग्रामीण राज्य है। राज्य का एक बड़ा हिस्सा (44%) वनाच्छादित है। राज्य में आदिवासी जनसंख्या 32.8% है। जनसंख्या का घनत्व 189 प्रति वर्ग कि.मी. (जनगणना 2011) है, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है। राज्य में जनसंख्या के बिखराव के कारण, अधोसंरचना एवं नागरिक सेवाओं दोनों की प्रति व्यक्ति लागत ऊंची है।

2.3 राज्य में 9734 ग्राम पंचायत, 146 जनपद पंचायत तथा 18 जिला पंचायत है। इनमें से, कुल ग्राम पंचायतों की आधी के लगभग 4607 ग्राम पंचायतें, संविधान की पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में स्थित हैं जिन पर पेसा (PESA) लागू होता है। राज्य में 169 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 32 नगर पालिका तथा 127 नगर पंचायतें हैं। अधिकांश नगर पंचायतों में नगरीय सुविधाओं का अभाव है। संवैधानिक

अधिदेश एवं उनको शासित करने वाले परिनियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए इन स्थानीय निकायों को वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से कहीं अधिक की आवश्यकता होगी। वस्तुतः आयोग को इस तथ्य की जानकारी है कि पंचायतों के साथ ही साथ नगरीय निकायों द्वारा प्रदाय की जाने वाली नागरिक सेवाओं की स्थिति संतोषप्रद नहीं है। राज्य के स्थानीय निकायों में क्षमता का अत्यंत अभाव है तथा स्वयं के संसाधन जुटाने का आधार सीमित है। इस प्रकार यह इन दोनों कमजोरियों से ग्रसित है। साथ ही वे जो सीमित सेवाएं उपलब्ध कर रहे हैं, उसका मूल्य भी वसूल नहीं कर पाते हैं।

2.4 ग्राम पंचायतें, पंचायती राज व्यवस्था तथा ग्रामीण शासन प्रणाली (governance) की आधार स्तम्भ है। वर्तमान में अधिकांश पंचायतों की संस्थागत क्षमता अत्यन्त सीमित है। अनुसूचित क्षेत्र में स्थित पंचायतों की स्थिति अत्यंत बदतर है। आयोग अपने अंतिम प्रतिवेदन में ग्राम पंचायतों की क्षमता विकास के बारे में विस्तृत अनुशंसाएं देगा। परंतु उनके वित्तीय संसाधनों को अविलंब बढ़ाया जाना जरूरी है।

2.5 राज्य में नगर पंचायतों की भी वही स्थिति है। उनमें से अधिकांश 'नगर' नहीं है जबकि वे पंचायत भी नहीं रही। नगर पंचायत घोषित करने के लिए जनसंख्या या अन्य कोई मापदण्ड राज्य शासन द्वारा निर्धारित नहीं है। कमोवेश अधिकतर नगर पंचायतों की स्थिति ग्राम की ही है। नगर पंचायत बन जाने से ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनी केन्द्रीय एवं राज्य योजनाओं के लाभ से ये वंचित हो गये हैं। इन निकायों को थोड़ी बहुत नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना है तो वित्तीय संसाधनों के अंतरण में इनको वरीयता देनी पड़ेगी। नगर निगम एवं नगरपालिकाओं में वित्त के अलावा अभिशासन (governance) एक प्रमुख मुद्दा है।

2.6 ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आयोग के अंतिम प्रतिवेदन में विस्तार से चर्चा की जायेगी। किन्तु इन्हें चालू वर्ष के लिये राजस्व के अंतरण की अनुशंसा करते समय भी ध्यान में रखा गया है।

### III. अंतरण के सिद्धांत (Principles of Devolution)

3.1 आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 के विभाजनीय कोष (Divisible Pool) के लिए केवल राज्य के शुद्ध कर राजस्व को ही लिया गया है। चूंकि इस वर्ष का बजट राज्य विधानसभा द्वारा पहले से ही पारित कर दिया गया है, इसलिए बजट में प्रावधानित राज्य के स्वयं के कर राजस्व (SOTR) को ही विवेचन में लिया गया है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में से तीन करों यथा 0029-भू राजस्व, 0042-माल एवं यात्री कर, 0045-वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य करों के आगम पूर्ण रूपेण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इन करों के आगम तथा बचे हुए करों के संग्रहण में होने वाले खर्चों को घटाने के बाद शुद्ध कर राजस्व प्राप्त किया गया है। इन आधारों पर राज्य के स्वयं का शुद्ध कर राजस्व की गणना निम्न प्रकार से की गई है और उसे विभाजनीय कोष माना गया है :

क्रमांक	विवरण	घनराशि (करोड़ रु.में)
1.	वर्ष 2012-13 का राज्य का स्वयं का कर राजस्व (SOTR)	12,175.59
2.	घटाइये -स्थानीय निकायो को हस्तांतरित तीन करों का आगम	1,087.82
3.	घटाइये - संग्रहण पर कुल व्यय	258.31
	राज्य का स्वयं का शुद्ध कर राजस्व (SOTR)	10,829.46

बजट में दर्शाये गए करों पर संग्रहण पर व्यय कुल संग्रहित करों का 2.1% है। यह उचित प्रतीत होता है तथा यह पिछले पांच वर्षों में हुए व्यय के समान है।

3.2 प्रथम राज्य वित्त आयोग ने राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.287% हिस्सा स्थानीय निकायों को अंतरित किये जाने की अनुशंसा की थी। किन्तु राज्य शासन द्वारा केवल 6% अंतरण स्वीकार किया गया। हमारी विचारित राय है कि स्थानीय निकायो की सेवाओं का स्तर उंचा करने तथा क्षेत्र में अधोसंरचना की



जरूरतों को पूरा करने के लिए 6% हिस्सा पर्याप्त नहीं है। विभिन्न कृत्यों का निर्वहन करने, चिन्हित नगरीय एवं ग्रामीण अधोसंरचना का स्तर उंचा करने तथा जनता को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करने के लिए अधिक अंतरण की आवश्यकता है। इससे ही इन निकायों का जमीनी आधार मजबूत बनेगा तथा वे जनता का विश्वास अर्जित करने में सक्षम होंगे। राज्य के स्थानीय निकाय इन दोनों ही क्षेत्रों में कमजोर हैं। साथ ही केन्द्र तथा राज्य सरकारों की प्रचलित योजनाएं इन दो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती हैं, जिनकी जनता इन स्थानीय निकायों से अपेक्षा करती है। हमारा विश्वास है कि स्थानीय निकायों के आंतरिक संसाधनों के जुटाने के वर्तमान स्तर में काफी वृद्धि की संभावनाएं हैं। किन्तु निकायों के वर्तमान कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए हमारा मत है कि थोड़ा नहीं बल्कि अधिक राजस्व का अंतरण ही इसमें सहायक सिद्ध होगा। आयोग के ध्यान में यह तथ्य है कि पिछले पांच वर्षों में राज्य शासन द्वारा 6% से अधिक राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके बावजूद अधिकतर मामलों में उनकी स्थिति अपरिवर्तित रही है। इसलिए आयोग यह अनुशंसा करता है कि राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व (SOTR) में स्थानीय निकायों का हिस्सा 8% होना चाहिए। राज्य का स्वयं का शुद्ध कर राजस्व (SOTR) ₹.10829.46 करोड़ का 8% हिस्सा ₹.866.36 करोड़ होता है।

- 3.3 सामान्यतः अंतरण की जाने वाली कुल धनराशि पंचायतों एवं नगरीय निकायों के बीच में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बंटन की जाती है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या 76.8% तथा नगरीय जनसंख्या 23.2% है। इसलिए धनराशि के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.15% एवं नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा 1.85% होगा। तदानुसार पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों का हिस्सा निम्नानुसार आकलित किया गया है :-

क्रमांक	विवरण	धनराशि (करोड़ रु.में)
1.	पंचायती राज संस्थाएं – (6.15%)	666.01 (या 666.00)
2.	नगरीय स्थानीय निकाय – (1.85%)	200.35
	<b>कुल</b>	<b>866.36</b>

#### IV. पंचायती राज संस्थाओं को आबंटन

4.1 जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का संबंध है, जिलावार कोष वितरण की अनुपात में निम्नांकित आधार पर की गई है :

- 1) जनसंख्या (जनगणना 2011) – मानदंड भार 60%
- 2) क्षेत्रफल – मानदंड भार 20%
- 3) अनुसूचित जाति / अनुसूचित  
जनजाति जनसंख्या – मानदंड भार 10%
- 4) गरीबी रेखा से नीचे रहने  
वाले परिवार – मानदंड भार 10%

गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले परिवारों की संख्या 2002 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार होगी। हमारी जानकारी के अनुसार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। इस सर्वेक्षण के परिणाम उपलब्ध हो जाने पर, ऐसे परिवारों की संशोधित संख्या को लिया जाना चाहिए। प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा आंतरिक राजस्व के प्रयास (IRM) पर 10% मानदंड भार दिया गया था। राज्य की 50% से अधिक ग्राम पंचायतों से प्राप्त जानकारी तथा आयोग द्वारा कंसल्टेंट्स के माध्यम से कराए गए स्थानीय सर्वेक्षणों से प्राप्त स्थिति के अध्ययन के बाद हमारे मत में धनराशि के हस्तांतरण में राजस्व प्रयास (IRM) का मानदंड किसी भी प्रकार से व्यावहारिक नहीं होगा। इसके स्थान पर हमने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या को

मानदंड भार का सुझाव दिया है। हमारे मत में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यह अधिक सार्थक है। इसमें सन्देह नहीं है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आंतरिक राजस्व जुटाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हम आंतरिक राजस्व बढ़ाने के प्रयास को कुछ अन्य प्रकार से प्रोत्साहित करने पर विचार करेंगे। इन मानदंडों के आधार पर जिलेवार आबंटन की गणना की गई है जो नीचे तालिका -1 में दिया गया है:-

## तालिका-1

### पंचायती राज संस्थाओं को जिलेवार आबंटन

क्रमांक	जिला	प्रतिशत	राशि (करोड़ में)
1.	बालोद *	3.27	21.76
2.	बलौदाबाजार *	5.16	34.39
3.	बलरामपुर *	3.83	25.48
4.	बस्तर	4.01	26.72
5.	बेमेतरा *	3.32	22.11
6.	बीजापुर	2.07	13.77
7.	बिलासपुर	6.52	43.43
8.	दंतेवाड़ा	1.46	9.73
9.	धमतरी	2.90	19.33
10.	दुर्ग	2.77	18.44
11.	गरियाबंद *	2.91	19.36
12.	जांजगीर-चांपा	6.18	41.16
13.	जशपुर	4.33	28.81
14.	कबीरधाम	3.53	23.53
15.	कांकेर	3.83	25.48
16.	कोन्डागांव *	3.10	20.65
17.	कोरबा	4.19	27.89

18.	कोरिया	2.49	16.61
19.	महासमुन्द	4.59	30.59
20.	मुंगेली *	2.87	19.09
21.	नारायणपुर	0.71	4.71
22.	रायगढ़	6.43	42.83
23.	रायपुर	4.01	26.68
24.	राजनांदगांव	6.29	41.91
25.	सुकुमा *	1.77	11.80
26.	सूरजपुर *	3.64	24.25
27.	सरगुजा	3.83	25.51
<b>कुल</b>		<b>100.00</b>	<b>666.00</b>

**टिप्पणी—** 9 नए जिलों की जिला पंचायतों का 3% आबंटन उन जिलों में जोड़ा जाना है जिससे कि वे वर्तमान में संबद्ध है।

**4.2** हमने उपरोक्त 6.15% हिस्सों का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं, अर्थात् जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायतों में वितरण की अनुशंसा मुख्यतः उनके वैधानिक एवं अन्य उत्तरदायित्वों के आधार पर की है। ग्राम पंचायतें, पंचायत प्रणाली के केन्द्र में बनी रहने वाली हैं तथा ग्रामीण शासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। कुछ सीमा तक जनपद पंचायतें तथा अधिक निश्चित रूप से जिला पंचायतों को वित्तीय स्वीकृति, समन्वय तथा पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। जिला पंचायत में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) का संविलियन हो जाने से इसका उत्तरदायित्व बढ़ गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि का बंटवारा निम्नानुसार प्रस्तावित है—

1.	जिला पंचायत - 3%	लगभग रू. 20.00 करोड़
2.	जनपद पंचायत - 12%	लगभग रू. 80.00 करोड़
3.	ग्राम पंचायत - 85%	लगभग रू. 566.00 करोड़
<b>कुल - 100%</b>		<b>लगभग रू. 666.00 करोड़</b>

- 4.3 वर्तमान में राज्य में कुल 18 जिला पंचायतें हैं, यद्यपि वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। जिला पंचायतों का 3% हिस्सा उनके जिलों के लिए आबंटन (तालिका-1) का 3% होगा। नये 9 जिलों के जिला पंचायत के लिए आबंटित राशि उन जिला पंचायतों को जायेगी जिनसे वे वर्तमान में संबद्ध है।
- 4.4 जिले के जनपद पंचायतों व ग्राम पंचायतों के बीच क्रमांक 12% एवं 85% का परस्पर वितरण जनसंख्या के आधार पर होगा। ग्राम पंचायतों के कुल आबंटन में से अनुसूचित क्षेत्र में स्थित 4607 ग्राम पंचायतों को प्रति ग्राम पंचायत रू. 2.0 लाख आबंटन की अनुशंसा की जाती है। अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की औसत जनसंख्या लगभग 1900 है। इस प्रकार इन ग्राम पंचायतों को लगभग रू 100 प्रति व्यक्ति मान से अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। सभी 9734 ग्राम पंचायतों, जिनमें अनुसूचित विकासखंडों में स्थित ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं, के लिए रू. 473.86 करोड़ रुपये की उपलब्धता रहेगी (रू. 566.00 करोड़ से पेसा विकासखंडों के पंचायतों के लिए रू. 92.14 करोड़ घटाने के बाद)। इस प्रकार प्रति ग्राम पंचायत औसतन रू. 4.9 लाख आबंटित होगा। जबकि अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को रू. 2.0 लाख अतिरिक्त आबंटन के कारण औसतन रू. 6.90 लाख प्राप्त होगा। हम आशा करते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त सहायता का उपयोग बेहतर मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराने में किया जावेगा।
- 4.5 पंचायती राज संस्थाओं की दोनों ऊपरी स्तरों का कार्य मुख्य रूप से पर्यवेक्षण का है। इसलिए इन्हें प्रस्तावित आबंटन कुछ अधिक प्रतीत होता है, अतः हम अनुशंसा करते हैं कि जनपद पंचायत इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के साथ-साथ (i) जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों की आस्तियों के रखरखाव, तथा (ii) निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता उपलब्ध किये जाने के लिए उपयोग करें।
- 4.6 जहां तक जिला पंचायतों का संबंध है, इन संस्थाओं की आयोग के समक्ष एक मुख्य मांग यह थी कि जिला पंचायतों को कुछ धनराशि उन कार्यों की स्वीकृति के लिए उपलब्ध की जानी चाहिए जिसे वे महत्वपूर्ण समझते हैं और जिसमें एक से अधिक

ग्राम पंचायत लाभन्वित हो रही हों। जिला पंचायतें आबंटित राशि का उपयोग उपरोक्त कार्यों के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा वे इस राशि को पंचायतों के कार्यप्रणाली पर सेमीनार आयोजित करने तथा पंचायत व सरपंचो के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने में उपयोग कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण घटक समस्त ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार तथा अन्य केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का संकलन का प्रकाशन होना चाहिए। यह सरल भाषा में होना चाहिए जिसे पंचायत स्तर के अधिकारी एवं निर्वाचित प्रतिनिधि समझ सकें। इस प्रकाशन को सभी ग्राम पंचायतों में वितरण करना चाहिए। इस राशि का उपयोग जिला स्तर पर सभी ग्राम पंचायतों का कम्प्यूटरीकृत सांख्यिकी बैंक (डाटा बैंक) निर्माण में भी किया जाना चाहिए। इस डाटा बैंक में जिलावार डाटा, ग्राम पंचायतों की सम्पत्तियों के बारे में जानकारी, उनके द्वारा क्रियान्वयन की गई योजनाओं के विषय में जानकारी, उनके पिछले 3 साल के बजट तथा साथ में लेखे इत्यादि रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि डाटा बैंक में अधिक से अधिक डाटा व जानकारी रहे।

## V. नगरीय निकायो को आबंटन (Allocation to ULBs)

5.1 नगरीय निकायों का हिस्सा 1.85% होता है (कंडिका 3.3)। प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायो में सभी स्तर पर परस्पर आबंटन निम्न मानदण्डों पर किया गया था :

- 1) जनसंख्या (जनगणना 2011) — मानदण्ड भार — 80%
- 2) क्षेत्र — मानदण्ड भार — 10%
- 3) गंदी बस्ती जनसंख्या — मानदण्ड भार — 10%

राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या का मानदण्ड भार कम करके 70% कर दिया गया तथा चौथा मानदण्ड 'राजस्व प्रयास' जोड़कर उसको 10% मानदण्ड भार दिया गया। कम से कम चालू वर्ष के लिए आबंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये मानदण्डों में हम परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। गंदी बस्ती का मानदण्ड भार बड़ी जनसंख्या के लिए अधिक तथा कम जनसंख्या के लिए कम होना चाहिए। गंदी

बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए यह अनुशंसा की गई है। राजस्व प्रयास के लिए मानदण्ड भार आंतरिक राजस्व प्रयास (IRM) को प्रोत्साहित करने के लिए है। इसके लिए मानदण्ड नगरीय निकायों के पिछले तीन वर्षों में राजस्व में प्रतिवर्ष न्यूनतम 10% के निरंतर सुधार पर आधारित होगा।

## VI. शासन द्वारा राजस्व का हस्तांतरण (Transfer of funds by the Government)

6.1 प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशासित राशि का स्थानीय निकायों को हस्तांतरण राज्य सरकार द्वारा अधिकतर राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया गया है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से कोष के हस्तांतरण के अपने महत्व हो सकते हैं, किन्तु इससे स्थानीय निकायों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बेहतर सेवाओं के प्रावधान करने की स्वायत्तता नहीं रहती है। इस प्रक्रिया से कोष प्रवाह की निश्चितता (certainty) एवं पूर्वानुमेयता (predictability) सुनिश्चित नहीं रहती है तथा स्थानीय नियोजन में अड़चन होती है। यह स्थानीय निकायों को राजस्व के अंतरण के सिद्धांत के विरुद्ध है। जहां तक पंचायती राज संस्थाओं का संबंध है राज्य सरकार द्वारा चार योजनाओं : 1. मुख्यमंत्री ग्रामोत्कर्ष योजना 2. छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना 3. ग्राम गौरव योजना तथा 4. ग्राम विकास योजना के लिए आवश्यक प्रावधान प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशासित पंचायतों को अंतरित राशि से किया जा रहा है। वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2007-2011 की पांच वर्ष की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को आबंटित कुल रु.1620.16 करोड़ में से बजट में रु. 600 करोड़ का प्रावधान इन योजनाओं के लिए किया गया था। हमारा मानना है कि जिन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए राशि उपलब्ध की गई थी, उसमें दोहरापन (overlapping) है तथा इनमें से कोई भी योजना नागरिक मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नहीं है। आयोग अनुशंसा करता है कि चालू वर्ष 2012-13 से राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्रामीण निकायों के लिए उपलब्ध किये जाने वाली

राशि का इन योजनाओं के लिए उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को अंतरित की जाने वाली संपूर्ण राशि अनाबद्ध (untied) होनी चाहिए। क्योंकि यह मुख्य रूप से ग्रामों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के लिए होती है, जैसे पेयजल आपूर्ति, सड़क प्रकाश, गांवों में स्वच्छता तथा सफाई, ठोस अपशिष्ट का निस्तारण आदि।

6.2 आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी व्यय, जिनकी प्रकृति कुछ भी रही हो, उसे राज्य वित्त आयोग के अंतरण के रूप में दर्ज किया गया है। इसमें "पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित व्यय" की एक बड़ी राशि रु. 234.28 करोड़ शामिल है (स्कीम कोड 2474)। वित्त विभाग द्वारा हमें दी गई जानकारी के अनुसार पंचायत अंकेक्षक जो कि राज्य शासन के कर्मचारी है, उनका वेतन भी इसी शीर्ष के अंतर्गत लेखे में दर्ज किया गया है। शासकीय कर्मचारियों के वेतन को पंचायतों को अंतरित राशि का अंश नहीं माना जा सकता है। इस व्यय का वहन राज्य शासन को करना चाहिए।

6.3 जहां तक नगरीय स्थानीय निकायों का संबंध है, प्रथम राज्य वित्त आयोग के रु. 405.04 करोड़ अधिनिर्णय के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा पांच वर्षों की अवधि में रु. 648.21 करोड़ राशि उपलब्ध कराई गई है। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई यह राशि निःसंदेह पर्याप्त है, किन्तु राशि का आबंटन विशेषकर नगरीय अधोसंरचना के लिए अधिकतर तदर्थ एवं मांग के आधार पर किया गया है। हम अनुशंसा करते हैं कि नगरीय स्थानीय निकायों के हिस्से का अंतरण अनाबद्ध (untied) होना चाहिए तथा उसका उपयोग मूलभूत नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा नगरीय अधोसंरचना के लिए किया जाना चाहिए। राज्य शासन इस संबंध में उचित दिशा-निर्देश जारी करें। अन्तरण अनाबद्ध होने से स्थानीय निकायों को धनराशि के प्रवाह की निश्चितता एवं पूर्वानुमेयता हो सकेगी, जिसका वर्तमान में अभाव है।



## VII. राजस्व का सौंपा जाना (Assigned Revenue)

7.1 प्रस्तुत प्रतिवेदन में हम राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों को सौंपे गये कर राजस्व के बारे में कोई अनशंसा नहीं कर रहे हैं। इसके विषय में अंतिम रिपोर्ट में विस्तृत अनुशंसा की जायेगी।

वर्ष 2012-13 के बजट में राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों को कर राजस्व सौंपने के बारे में जो प्रावधान किये गये हैं, वह निम्नानुसार है:

### तालिका - 2

#### स्थानीय निकायों को सौंपा गया कर राजस्व

क्रमांक	शीर्ष मदें	बजट प्रावधान 2012-13 (करोड़ रु. में)
अ	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण	
1.	भू-राजस्व (0029)	275.00
2.	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क (4610)*	45.00
3.	गौण खनिज रायल्टी अनुदान (6299)	110.00
4.	मनोरंजन कर अनुदान (8879)	1.90
	<b>योग</b>	<b>431.90</b>
आ	नगरीय निकायों को हस्तांतरण	
1.	प्रवेश कर (चुंगी) अनुदान (8018)	668.25
2.	यात्री कर अनुदान (9436)	8.00
3.	एफ.एल. लाइसेंस शुल्क (5061)	15.50
4.	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क (4035)	36.16
5.	मनोरंजन कर अनुदान (8850)	7.76
	<b>योग</b>	<b>735.67</b>

(\* ) में बजट का स्कीम कोड दर्शाया गया है।

## VIII. स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid)

राज्य की संचित निधि से पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सहायता अनुदान की अनुशंसा करना भी आयोग का कार्य है। अन्तिम प्रतिवेदन में इस पर विस्तृत चर्चा की जायेगी। चालू वर्ष के लिए हम निम्नलिखित अनुशंसा करना चाहेंगे :-

- 8.1 ग्राम पंचायतों के आंतरिक संसाधन प्रयास (IRM) को प्रोत्साहित करने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि यदि कोई एक ग्राम पंचायत एक वर्ष में अपना राजस्व संग्रहण पिछले वर्ष की तुलना में 10% से अधिक सुधारती है, तो राजस्व में जितनी वृद्धि की गई है उतनी ही राशि राज्य शासन उन्हें अनुदान के रूप में दे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस अनुशंसा को लागू करने के लिए एक स्कीम तैयार करना चाहिए।
- 8.2 हमने पहले भी नगरीय स्थानीय निकायों में नगर पंचायतों की असंतोषजनक वित्तीय स्थिति का उल्लेख किया है। आयोग अनुशंसा करता है कि कंडिका 8.3 में उल्लिखित 5 नगर पंचायतों को छोड़कर शेष सभी प्रति नगर पंचायत को एक करोड़ रुपये का एक बार अनुदान इस शर्त के साथ दिया जाये कि इसकी 50% राशि अधोसंरचना तथा 50% राशि चिन्हित आधारभूत सेवाओं पर व्यय की जायेगी। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किया जाये।
- 8.3 वर्तमान में राज्य की पांच नगर पंचायतें - बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर तथा गरियाबंद नए जिलों के मुख्यालय हैं। इन नगर पंचायतों में बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए अन्य नगर पंचायतों की तुलना में अधिक धनराशि की आवश्यकता है। हमारी अनुशंसा है कि इन पांच नगर पंचायतों को प्रति नगर पंचायत दो करोड़ रुपये का एक बार अनुदान दिया जाये। इस राशि का व्यय 50% अधोसंरचना विकास तथा 50% चिन्हित मूलभूत सेवाओं पर किया जाना चाहिए।

## **IX. स्थानीय निकायों के आंतरिक राजस्व उगाही में सुधार के उपाय (Measures for Improving IRM of local bodies)**

- 9.1** प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के आंतरिक राजस्व में वृद्धि के लिए कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए थे। राज्य शासन द्वारा इनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया गया था, किन्तु अमल में लाने के लिए अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। आयोग का विश्वास है कि ग्रामीण एवं नगरीय दोनों ही स्थानीय निकायों द्वारा कर एवं अन्य राजस्व स्रोतों का पूरी तरह विदोहन नहीं हो रहा है। यदि उपलब्ध स्रोतों का पूर्ण विदोहन किया जाये तो स्थानीय निकायों के आंतरिक वित्तीय संसाधनों में बहुत अधिक वृद्धि होगी तथा उनकी राज्य शासन पर निर्भरता भी कम होगी। हम अंतिम प्रतिवेदन में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आयोग निम्न बिन्दुओं पर त्वरित कार्यवाही की अनुशंसा करता है :
- 9.2** ग्राम पंचायतों द्वारा उद्ग्रहित किये जाने वाले संपत्ति कर, पशु पंजीयन शुल्क, बाजार शुल्क आदि को 1960 के दशक में निर्धारित किया गया था। प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा इनके दरों का पुनरावलोकन की अनुशंसा की गई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक पंचायत/76/पीएंडआरडी/2011 दिनांक 16.12.2011 द्वारा संचालक, पंचायत, की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई। इस समिति को प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा दिए गए सुझावों का अध्ययन कर राज्य शासन को उपयुक्त कार्यवाही के बारे में सुझाव देना था। आयोग को प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त समिति अपनी अनुशंसाएं सौंपने की स्थिति से कहीं दूर है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए इस समिति के महत्व को देखते हुए हमारा राज्य शासन से विशेष आग्रह है कि इस समिति को तत्काल सक्रिय करें तथा अनुशंसाएं सौंपने हेतु समिति को 3 माह की समय-सीमा निर्धारित करें।
- 9.3** पिछले कई वर्षों में ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व तथा उनके द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, किन्तु प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। एक पंचायत सचिव से न तो कार्यात्मक, न ही वित्तीय जवाबदेही की अपेक्षा की जा सकती है। स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के

संभालने के लिए एक पंचायत का कार्य बहुत अधिक है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा एक नई केन्द्रीय योजना 'राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान' प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत अन्य बातों के अलावा ग्राम पंचायतों के लिए अतिरिक्त जनशक्ति का प्रावधान है। हमारा सुझाव है कि राज्य शासन को इस योजना का पूरा लाभ लेना चाहिए। इसके अंतर्गत राज्य का दायित्व योजना के लागत का केवल 20% है। इस योजना का लाभ लेते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सहायक तथा एक लेखापाल कम कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए।

**9.4** छत्तीसगढ़ नगरपालिका राजस्व (नियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम 2011 का पारित होना नगरीय स्थानीय निकायो तथा नागरिको के हित में लिया गया एक बहुत बड़ा कदम है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसके कानून बन जाने के बाद से 6 माह की अवधि में नियामक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। यह अधिनियम 3 मई 2011 से प्रभावशील हो गया है, किन्तु नियामक आयोग का गठन अभी तक नहीं हुआ है। राज्य सरकार को बिना और अधिक विलंब किए आयोग का गठन करना चाहिए।

**9.5** वर्तमान में बजट में ऐसा कोई शीर्ष नहीं है जिसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा पर किये गये कोषों के हस्तांतरण को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके। केवल पंचायतो के लिए मूलभूत अनुदान के प्रावधान को राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से संबंधित किया जा सकता है। बजट में कोई अन्य कार्यात्मक वर्गीकरण नहीं है जो यह स्पष्ट करे कि प्रावधान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंध रखते हैं। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर स्थानीय निकायो के अंतरण का बजट में सही वर्गीकरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस प्रकार के अंतरण का राज्य शासन की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का आकलन केन्द्रीय वित्त आयोग को करना है। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

## **X. अनुशंसाओं का सारांश**

(1) वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तुत इस अंतरिम प्रतिवेदन में आयोग ने मुख्यतः स्थानीय निकायों के लिये धनराशि के अन्तरण पर ध्यान केन्द्रित किया है, जिससे कि चालू वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा सके। (कंडिका 1.2)

- (2) वर्ष 2012-13 के लिए राज्य के स्वयं का शुद्ध कर राजस्व विभाजनीय कोष (divisible pool) बनेगा। राज्य के स्वयं का शुद्ध कर राजस्व (SOTR) जिसका हिस्सा स्थानीय निकायों को दिया जाना है, कुल रू. 10829.46 करोड़ आता है। (कंडिका 3.1)
- (3) स्थानीय निकायों को राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 8% हिस्सा जो रू. 866.36 करोड़ है, अंतरित करने की अनुशंसा की जाती है। (कंडिका 3.2)
- (4) अंतरित की जाने वाली राशि पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में वितरित की जायेगी। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा 6.15% तथा नगरीय निकायों का हिस्सा 1.85%, जो क्रमशः रू. 666 करोड़ तथा रू. 200.35 करोड़ होगा। (कंडिका 3.3)
- (5) पंचायती राज संस्थाओं को जिलावार आबंटन जनसंख्या (60%), क्षेत्रफल (20%), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (10%), गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या (10%) के आधार पर होगा। उक्त आधार पर इस प्रतिवेदन में हमने राज्य के सभी 27 जिलों में से प्रत्येक का हिस्सा तालिका-1 में आकलित किया है। (कंडिका 4.1)
- (6) पंचायती राज संस्थाओं के लिए रखी गई (earmarked) राशि में त्रिस्तरीय संस्थाओं का हिस्सा इस प्रकार होगा - जिला पंचायत 3%, जनपद पंचायत 12% तथा ग्राम पंचायत 85%। (कंडिका 4.2)
- (7) नये 9 जिले के जिला पंचायतों का हिस्सा, जहां पर अभी जिला पंचायतें गठित नहीं हैं, उन जिला पंचायतों को जायेगा, जिनके साथ वर्तमान में वे संबद्ध हैं। (कंडिका 4.3)
- (8) जिलों में जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के हिस्से क्रमशः 12% एवं 85% का परस्पर वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाये। (कंडिका 4.3)
- (9) अनुसूचित क्षेत्र के विकास खंडों की ग्राम पंचायतों (4607 ग्राम पंचायतों) की मूलभूत सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को रू. 2 लाख के विशेष अतिरिक्त आबंटन की अनुशंसा की है। इन ग्राम पंचायतों को कुल रू. 92.14 करोड़ का आबंटन ग्राम पंचायतों के लिए निर्दिष्ट राशि में से होगा।


इस प्रकार गैर-अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को रू. 4.9 लाख तथा अनुसूचित क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को रू. 6.9 लाख प्राप्त होगा।


(कंडिका 4.4)

- (10) नगरीय निकायों में आबंटन का आधार जनसंख्या (मानदंड भार 70%), क्षेत्रफल (10%), गंदी बस्तियों की जनसंख्या (10%) तथा राजस्व प्रयास (10%) होगा। (कंडिका 5.1)
- (11) हमारी अनुशंसा है कि ग्राम पंचायतों को आबंटित कुल धनराशि अनाबद्ध (untied) होनी चाहिए। आबंटित राशि का राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपयोग, जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है, चालू वर्ष से बन्द किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों को आबंटित सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग गांव में मूलभूत सुविधाएं, जैसे पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर प्रकाश, स्वच्छता, गांवों में सफाई तथा ठोस अपशिष्ट की निकासी आदि उपलब्ध किये जाने के लिए ही होगा। (कंडिका 6.1)
- (12) ग्राम पंचायतों को अंतरित राशि का उपयोग पंचायत अंकेक्षकों को वेतन भुगतान हेतु किया जा रहा है और इस प्रकार व्यय भार "पंचायत से संबंधित व्यय" मद में दर्शाया जा रहा है। पंचायत अंकेक्षक राज्य शासन के कर्मचारी हैं, अतः उनका व्यय भार राज्य शासन के द्वारा वहन किया जाना चाहिये। (कंडिका 6.2)
- (13) नगरीय निकायों को राशि का आबंटन तदर्थ तथा मांग के आधार पर किया जाना प्रतीत हो रहा है। हमारी अनुशंसा है कि नगरीय निकायों को आबंटन अनाबद्ध (untied) होना चाहिए तथा उसका उपयोग केवल मूलभूत नागरिक सुविधाओं एवं नगरीय अधोसंरचना के लिए होना चाहिए। राज्य सरकार इस हेतु उपयुक्त दिशा निर्देश जारी करे। (कंडिका 6.3)
- (14) आयोग अनुशंसा करता है कि आंतरिक राजस्व प्रयासों (IRM) को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन ग्राम पंचायतों को उनके द्वारा पिछले वर्ष जुटाए गए स्वयं के राजस्व से अधिक राजस्व (जो कम से कम 10% होना चाहिए) के बराबर अनुदान (matching grant) राज्य के संचित कोष में से दे। (कंडिका 8.1)
- (15) राज्य में नगर पंचायतों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है, जिसके कारण आवश्यक नागरिक सुविधाएं प्रदाय करने में असमर्थ हैं। अतः प्रत्येक नगर पंचायत को (नीचे

उल्लिखित पांच नगर पंचायतों को छोड़कर) रू. 1 करोड़ एक बार सहायता अनुदान की अनुशंसा की जाती है। इसके साथ यह शर्त होगी कि इस अनुदान की 50% राशि अधोसंरचना पर व्यय की जाये तथा 50% का उपयोग चिन्हित मूलभूत सेवाओं पर किया जाये। इस हेतु नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किये जायें। (कंडिका 8.2)

- (16) राज्य की नगर पंचायतों में से पांच नगर पंचायतें – बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर एवं गरियाबंद जिला मुख्यालय में स्थित है। जिला मुख्यालय होने की दृष्टि से इन नगरों में अधोसंरचना एवं नागरिक सुविधाओं का स्तर अच्छा होना चाहिए। इस उद्देश्य से इन नगर पंचायतों को प्रति नगर पंचायत रू. 2 करोड़ एक बार में सहायता अनुदान की अनुशंसा की जाती है। (कंडिका 8.3)
- (17) ग्राम पंचायतों के करों में व्यापक संशोधन तथा अन्य बिन्दुओं का परीक्षण करके सुझाव देने के लिए राज्य शासन द्वारा गठित समिति को सक्रिय किया जाना चाहिए। इस समिति को अनुशंसाएँ सौंपने हेतु तीन माह की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। (कंडिका 9.2)
- (18) प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 अतिरिक्त स्टाफ – एक सहायक तथा एक लेखापाल-कम-कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्था होनी चाहिये। इस हेतु केन्द्रीय योजना 'राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान' का लाभ लिया जा सकता है। (कंडिका 9.3)
- (19) छत्तीसगढ़ नगर पालिका राजस्व नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल रेवेन्यू रेग्युलेटरी कमीशन) का गठन यथा शीघ्र किया जाना चाहिए। (कंडिका 9.4)
- (20) राज्य के बजट में राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार स्थानीय निकायों को किये गये आबंटन के प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होना चाहिए। (कंडिका 9.5)

  
(डॉ. अशोक कुमार पारख)  
सदस्य

  
(अजय चन्द्राकर)  
अध्यक्ष